महत्वपूर्ण/ई–मेल/स्पीड पोस्ट

निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश

संख्याः सी-482/म0क0निदे0/अनुदान/2015–16

दिनांक : लखनऊः 07 सितम्बर, 2015

ज़िला प्रोबेशन अधिकारी,
लखनऊ/कानपुर नगर/गोरखपुर/फैजाबाद/
आगरा/मेरठ/बरेली/मथुरा/इटावा/वाराणसी/
इलाहाबाद/मुरादाबाद/रायबरेली/सहारनपुर/
बलिया/बाराबंकी/मिर्जापुर/सीतापुर/गाजियाबाद।

विषयः– संवासिनियों के प्रयोगार्थ सेनेटरी नैपकीन पंचायत उद्योगों से क्रय किये जाने में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निदेशालय के यह संज्ञान में आया हैं कि राजकीय महिला शरणालय, राजकीय बाल गृह (बालिका) रा0 पाश्चातवर्ती देखरेख संगठन, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) राजकीय विशेष गृह (किशोरी) राजकीय संरक्षण गृह, राजकीय सुधार गृह (महिला) में निवासरत संवासिनियों के प्रयोगार्थ सेनेटरी नैपकीन खुले बाजार से उच्च दरों पर क्रय किया जा रहा है जबकि विभिन्न पंचायत उद्योगों की लघु इकाईयो द्वारा सैनटरी नैपकीन उच्च गुणवत्ता की कम मूल्य पर जनपदों में उपलब्ध है।

अतएव आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्थाओं में निवासरत संवासिनियों के प्रयोगार्थ उच्च गुणवत्ता की सेनेटरी नैपकीन क्रय करने में पंचायत उद्योगों से निर्मित सेनेटरी नैपकीन को प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

(राम केवल)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3– निदेशक, पंचायतीराज विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– जिलाधिकारी, लखनऊ/कानपुर नगर/गोरखपुर/ फैजाबाद/आगरा/मेरठ/बरेली/मथुरा/इटावा/वाराणसी/इलाहाबाद/मुरादाबाद/रायबरेली/सहारनपुर/बलिया/बाराबंकी/मिर्जापुर/सीतापुर/गाजियाबाद।
5– संबंधित संस्थाध्यक्ष।

07.09.15
(राम केवल)
निदेशक।